निग / 3429 / PBR / 15

# न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
## ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. निगरानी / /अध्यक्ष / 2015

श्रीमती भागवती मेगा स्ट्राक्टचर प्राय0 लिमि0भागवती पैलेस पुस्तक बाजार भिण्ड म0प्र0द्धारा डायरेक्टर विकमसिंह किरार पुत्र स्व0श्री उत्तमसिंह किरार पता 38 किरार भवन झॉसी रोड ग्वा0 .......प्रार्थिनी

बनाम

1. चेतराम कटारे
2 नरेश कुमार कटारे
3 रविन्द्र कटारे
4 अखिलेश कटारे
5 अनीश कटारे पुत्रगण स्व0श्री तोताराम कटारे निवासीगण ग्राम बेहटा हाल निवास नदीपार टाल मुरार ग्वा0 ..........प्रतिप्रार्थीगण
6. कैलाशनारायण
7 देवीचरन पुत्रगण धनीराम
8 श्रीमती लीलादेवी पत्नी स्व0जसवंतसिंह
9 श्रीमती शांतिदेवी बेवा विष्णु
10 सुमांत
11 प्रशांत
12 शरद समस्त नाबालिंग पुत्रगण स्व0श्री विष्णु सरपरस्त मॉ श्रीमती शांतिदेवी बेवा विष्णु समस्त निवासीगण ग्राम बेहटा, जिला ग्वा0हाल निवासी 6 नम्बर चौराहा मुरार तहसील व जिला ग्वा0
13 श्रीमती मीना तिवारी पत्नी श्री महेश तिवारी निवासी धवलगिरि अपार्टमेन्ट ठाटीपुर मुरार तहसील व जिला ग्वा0
14 श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी इन्द्रानगर ठाटीपुर तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ......फॉरमल प्रतिप्रार्थीगण

......प्रतिप्रार्थीगण

कमशः..........2

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार सिटी जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 09/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांकी 28.09.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी 3429/पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02.04.2019 | प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है।<br>उभय पक्ष सूचित हो।<br>**अध्यक्ष** | |